	• किसी भी संक्रमित व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को संक्रमित करने की स्थिति में उचित कार्यवाही/उपाय करने के अधिकार है। इसके अंतर्गत संक्रमित व्यक्ति के आने जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही किये जाने के अधिकार है। d(i) • किसी भी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये विस्तुओं या वस्तुओं का सम्पर्क सम्भावित होने की स्थिति में उचित कार्यवाही/उपाय करने के अधिकार है। इसके अंतर्गत वस्तुओं को नष्ट करने एवं उनके आयत/निर्यात का नियंत्रण के भी अधिकार है। d(ii) • व्यवासिक संस्था (मार्कट) बंद करने एवं मार्कट हेतु स्थान चिन्हित किये जा सकते है। (e) • मेला एवं त्यौहार के आयोजन पर प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार है। (g)

एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द्वारा अधिनियम का उल्लंघन होने पर धारा 148 के अंतर्गत समुचित न्यायालय में कंप्लेंट प्रस्तुत करने के अधिकार है।

इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार है:-

55	जिले के समस्त प्राइवेट हॉस्पिटल एवं समस्त प्रेक्टिशनर (आयुष प्रेक्टिशनर सहित), फैक्ट्री मेनेजर, हॉस्टल मालिक, मकान मालिक, माकन में रहने वाले आधिपत्यधारी, रहवासी सोसाइटी को COVID-19 से संक्रमित एवं संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाना अनिवार्य है।
57(4)	किसी भी व्यक्ति का, चिन्हित अस्पताल/ स्थान से, चिकित्सा अधिकारी के अनुमति के बिना, बहार जाना/बहार ले कर जाना धारा 57 की उपधारा 5 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसी अनुसार किसी भी व्यक्ति को, चिन्हित अस्पताल/स्थान से, चिकित्सा अधिकारी के अनुमति के बिना ले कर जाना/स्वयम जाना दंडनीय अपराध है।
58(1)	किसी भी COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क,सिनेमा, खेल आयोजन, हॉस्टल,क्लुद, फैक्ट्री एवं माल में प्रवेश वर्जित है।